महाबीर इंडस्ट्रीज

बनाम

प्रधान आयकर आयुक्त

(2018 की सिविल अपील संख्या 4765-4766)

मई 18, 2018

[ए.के. सीकरी और अशोक भूषण, जे.जे.]

आयकर अधिनियम, 1961:

धारा 80-आईसी - के तहत कटौती - उन औद्योगिक उपक्रमों के लिए पात्रता जिन्होंने पर्याप्त विस्तार पूरा किया - विचाराधीन निर्धारिती औद्योगिक उपक्रम ने धारा 80-आईए के तहत मूल्यांकन वर्ष 1998-99 से दो मूल्यांकन वर्षों के लिए कटौती का लाभ उठाना शुरू कर दिया। - मूल्यांकन वर्ष 2000-01 से मूल्यांकन वर्ष 2005-06 तक, निर्धारिती ने धारा 80-आईबी के तहत कटौती का लाभ उठाया। - धारा 80-आईसी के प्रभाव में आने के बाद। , निर्धारिती ने मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में पर्याप्त विस्तार किया, धारा 80-आईसी तहत के निर्धारण वर्ष 2006-07 से आगे के लिए छूट का दावा किया। - मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए कटौती की अनुमति निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई थी - हालाँकि, मूल्यांकन वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए कटौती इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वर्ष 2008 -09 और 2009-10 में 11वें और 12वें वर्ष होने के कारण धारा 80-आईसी(6) के मद्देनजर कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती - मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी बरकरार रखा - उच्च न्यायालय ने भी माना कि दस वर्ष की अवधि की गणना निर्धारण वर्ष 1998-99 से की जाएगी अर्थात जब निर्धारिती ने पहली बार धारा के तहत कटौती का दावा किया था। 80-आईए और इसलिए वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए कटौतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी - अपील पर, कहा गया: एसएस.80-आईए, 80-आईबी और 80-आईसी के तहत तीन प्रकार की कटौतियों के पीछे का उद्देश्य अलग-अलग है। - इसलिए, जहां तक धारा 80-आईसी के तहत पर्याप्त विस्तार करने के लिए कटौती का सवाल है, तो 80-आईए और 80-आईबी के तहत कटौती कोई चिंता का विषय नहीं होगी - निर्धारिती धारा के तहत कटौती का हकदार बन गया। प्रारंभिक वर्ष से 80-आईसी यानी वह वर्ष जिसमें पर्याप्त विस्तार पूरा किया गया था - धारा में दिए गए 10 वर्षों की गिनती के उद्देश्य से 80-आईए और 80-आईबी के तहत कटौती की

अवधि का समावेश। 80-आईसी (6) उन उद्योगों तक सीमित है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हैं - इसलिए, कटौती की अवधि यू/एसएस है। निर्धारिती को धारा 80-आईसी के तहत कटौती के लाभ के उद्देश्य से 80-आईए और 80-आईबी की गणना नहीं की जाएगी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1. मूल्यांकन वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के लिए धारा 80-आईसी के तहत निर्धारिती को कटौती की अनुमति नहीं देना मूल्यांकन अधिकारी की ओर से गलत था। [पैरा 14]

2. धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती की अनुमति नहीं है, जहां इस धारा के तहत कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि, या इसके तहत धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) का दूसरा प्रावधान या धारा 10 सी के तहत, जैसा भी मामला हो, दस मूल्यांकन वर्षों से अधिक है। इस प्रकार, दस वर्षों की कुल अवधि को तीन परिस्थितियों में गिना जाएगा: (ए) जब कटौती धारा 80-आईसी के तहत दस वर्षों की अवधि के लिए दी गई है, तो कोई और कटौती स्वीकार्य नहीं है। (बी) जब धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती दी जाती है। यह प्रावधान उन उद्योगों से संबंधित है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं। (सी) जब धारा 10 सी के तहत कटौती का दावा किया जाता है। यह फिर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में एक विशेष प्रावधान है। [पैरा 10]

3. वर्तमान मामले में निर्धारिती को धारा 80-आईसी के तहत दस साल की अवधि के लिए कटौती नहीं मिली है क्योंकि उसने 10 सितंबर, 2019 से इस प्रावधान के तहत कटौती का दावा करना शुरू कर दिया था। निर्धारण वर्ष 2006-07. ऊपर उल्लिखित स्थिति संख्या (बी) और (सी) निर्धारिती पर लागू नहीं होगी क्योंकि इसका उपक्रम/उद्यम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अधिनियम की धारा 80-आईसी (6) के प्रावधानों में कहा गया है कि धारा 80-आईसी और धारा 80-आईबी के तहत कटौती की कुल अवधि दस मूल्यांकन वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है। केवल तभी जब विनिर्माण इकाई अधिनियम की धारा 80-आईबी (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती का दावा कर रही थी यानी उत्तर-पूर्वी राज्य में स्थित इकाइयां। [पैरा 11]

4. धारा 80-आईए, धारा 80-आईबी और धारा 80-आईसी में निर्दिष्ट तीन प्रकार की कटौतियों के पीछे का उद्देश्य अलग-अलग है। धारा 80-आईसी उस अवधि को निर्धारित करती है

जिसके लिए सौ प्रतिशत कटौती दी जानी है और फिर कम दरों पर कटौती दी जानी है। यदि निर्धारिती ने पहले धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत कटौती का लाभ उठाया था, तो यह कोई चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त विस्तार करने पर, जो आकलन वर्ष 2006-07 में किया और पूरा किया गया था, निर्धारिती हकदार हो गया प्रारंभिक वर्ष से धारा 80-आईसी के तहत कटौती। शब्द 'प्रारंभिक वर्ष' उस वर्ष को संदर्भित करता है जिसमें पर्याप्त विस्तार पूरा हो चुका है, जिसकी कानूनी स्थिति स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई है और यहां तक कि विभाग द्वारा भी स्वीकार की गई है क्योंकि उसने फैसले के उस हिस्से को चुनौती नहीं दी है। कटौती के लिए अवधि का समावेश धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत किया जाता है, दस वर्षों की गिनती के उद्देश्य से, धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) में प्रदान किया गया है और यह उन औद्योगिक उपक्रमों तक सीमित है या उद्यम जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हैं। इस प्रकार का विशिष्ट प्रावधान करके, विधानमंडल ने अपना इरादा दिखाया है, अर्थात्, जहां उद्योग उत्तर-पूर्वी राज्य में स्थित नहीं है, वह अवधि जिसके लिए धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत एक निर्धारिती द्वारा पहले कटौती का लाभ उठाया जाता है। अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती का लाभ उठाने के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। [पैरा 12]

टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता बनाम द

आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

(1977) 2 एससीसी 368: [1977] 2 एससीआर 762 - आयोजित

अनुपयुक्त.

केस कानून संदर्भ

[1977] 2 एससीआर 762 को अनुपयुक्त पैरा 13 माना गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4765-

2018 का 4766

आयकर अपील संख्या 7 और 10, 2016 में क्रमशः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 28.11.2017 से

साथ

2018 की सिविल अपील संख्या 4767।

अपीलकर्ता के लिए अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ वकील, जय सावला, सुश्री रेणुका साहू, हितेन चंदे, वकील।

के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ वकील, सुश्री अनीता सहानी, एच.आर. राव, श्रीमती अनिल कटियार, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का फैसला **ए.के. सीकरी, जे.** द्वारा सुनाया गया।

इन अपीलों में विचार के लिए कानून का एक संक्षिप्त प्रश्न उठता है। सभी अपीलें एक ही पक्ष, अर्थात् महाबीर इंडस्ट्रीज (बाद में 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की जाती हैं, जिसमें आम प्रतिवादी प्रधान आयकर आयुक्त (इसके बाद 'विभाग' के रूप में जाना जाता है) है। कानून के प्रश्न को बताने से पहले, उस पृष्ठभूमि का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है जिसके तहत कानून का उक्त प्रश्न उत्पन्न हुआ है क्योंकि यह पृष्ठभूमि कानून के प्रश्न के वास्तविक दायरे और दायरे को समझने में एक सक्षम कारक होगी।

निर्धारिती पॉलिथीन का निर्माण करता है जिसके लिए उसका शिमला, हिमाचल प्रदेश में कारखाना है। करदाता, एक औद्योगिक उपक्रम, द्वारा की गई गतिविधि आयकर अधिनियम की धारा 80-आईए (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत आयकर से छूट के लिए योग्य है। अधिनियम की धारा 80-आईए औद्योगिक उपक्रमों या बुनियादी ढांचे के विकास आदि में लगे उद्यमों से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है, यदि यह उप-धारा (4) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। ऐसी कटौती लगातार दस मूल्यांकन वर्षों के लिए ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ और लाभ के सौ प्रतिशत के बराबर राशि है। संक्षेप में, वे उपक्रम या उद्यम, जो अधिनियम की धारा 80-आईए की उप-धारा (4) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अपने मुनाफे की कुल कटौती के हकदार हैं, जिसका अर्थ है, कोई कर देय नहीं है और वह अवधि जिसके लिए ऐसे उपक्रमों या उद्यमों को लगातार दस मूल्यांकन वर्षों तक कर के भुगतान से छूट दी गई है। निर्धारिती ने स्वीकार किया कि वह इस कटौती के लिए योग्य है, जिसका लाभ उसने निर्धारण वर्ष 1998-99 से लेना शुरू कर दिया था। धारा 80-आईए के तहत इस कटौती का दावा किया गया था और दो मूल्यांकन वर्षों यानी 1998-99 और 1999-2000 के लिए अनुमति दी गई थी।

2. अधिनियम की धारा 80-आईए मूल रूप से वित्त (नंबर 2) अधिनियम, 1991 द्वारा वर्ष 1991 में पेश की गई थी। 1 अप्रैल, 1991. इस धारा में समय-समय पर संशोधन होते रहे। इस धारा को वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.4.2019 से संशोधित किया गया था। 1 अप्रैल, 2000. इस प्रावधान के साथ, धारा 80-आईबी भी पहली बार उसी वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा पेश की गई थी। यह प्रावधान बुनियादी ढांचे के विकास उपक्रमों के अलावा कुछ औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और लाभ के संबंध में कटौती की अनुमति देता है। इस तरह के लाभ और प्राप्ति से कटौती ऐसे प्रतिशत के बराबर और धारा 80-आईबी में निर्दिष्ट मूल्यांकन वर्षों की संख्या के लिए होती है। धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) पांच साल की अवधि के लिए सौ प्रतिशत और उसके बाद पच्चीस प्रतिशत कटौती का प्रावधान करती है। इसके पहले प्रावधान में कहा गया है कि कटौती की कुल अवधि लगातार दस मूल्यांकन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा परंतुक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है जिसे हम उचित स्तर पर विज्ञापित करेंगे। उप-धारा (2) उन शर्तों की गणना करती है जिन्हें उस प्रावधान के तहत मुनाफे और लाभ से कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पूरा किया जाना है।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, आकलन वर्ष 1998-99 और 1999-2000 (यानी दो आकलन वर्ष) के लिए, निर्धारिती को धारा 80-आईए के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी। आकलन वर्ष 2000-01 से आकलन वर्ष 2005-06 तक, निर्धारिती ने धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दावा किया।

4. दिलचस्प बात यह है कि धारा 80-आईसी के रूप में एक और प्रावधान वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2003 से शामिल किया गया था। 1 अप्रैल, 2004. इस प्रावधान के अनुसार, कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों या उद्यमों को ऐसे मुनाफे और लाभ से कटौती की अनुमति है, जैसा कि धारा 80-आईसी की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट है। धारा 80-आईसी के प्रावधान सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित विनिर्माण इकाइयों को कटौती प्रदान करते हैं। यह कटौती उपरोक्त राज्यों में स्थापित नई इकाइयों को प्रदान की गई थी, और यदि पर्याप्त विस्तार किया गया था तो उन राज्यों में मौजूदा इकाइयों को भी प्रदान किया गया था। उत्तर-पूर्वी और सिक्किम राज्य में स्थित इकाइयों के लिए कटौती दस मूल्यांकन वर्षों के लिए 100% की दर से उपलब्ध थी और हिमाचल प्रदेश में स्थित इकाइयों के लिए, कटौती पांच वर्षों के लिए 100% की दर से और अगले के लिए 25% की दर से उपलब्ध थी। पांच साल। करदाता ने आकलन वर्ष 2006 में बद्दी, हिमाचल प्रदेश में स्थित विनिर्माण इकाई में पर्याप्त विस्तार (1 अप्रैल, 2005 को पहले से स्थापित संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के 50% से अधिक

मूल्य के नए संयंत्र और मशीनरी में निवेश करके) पूरा किया। -07. पर्याप्त विस्तार को देखते हुए, आरोपी ने निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए धारा 80-आईसी के तहत 100% की दर से कटौती का दावा किया, जिसे धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करने के बाद मूल्यांकन अधिकारी (एओ) द्वारा भी अनुमति दी गई थी।

5. उप-धारा (3), जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष से शुरू होने वाले दस मूल्यांकन वर्षों की अवधि का उल्लेख करता है। इस स्तर पर उपधारा (6) पर भी ध्यान दिया जा सकता है जो पढ़ता है

"(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई कटौती नहीं

इसके तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को अनुमति दी जाएगी

अनुभाग, जहां अवधि सहित कटौती की कुल अवधि

इस धारा के अंतर्गत या दूसरे परंतुक के अंतर्गत कटौती की

धारा 80-आईबी की उपधारा (4) या धारा 10सी के तहत, जैसा भी मामला हो

हो सकता है, दस मूल्यांकन वर्ष से अधिक हो।"

6. जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्धारिती ने आकलन वर्ष 2006-07 में पर्याप्त विस्तार किया था और इसलिए, आकलन वर्ष 2006-07 के बाद के लिए अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत छूट का दावा किया था। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, इसके बाद, आकलन वर्ष 2008-09 और आकलन वर्ष 2009-2010 के लिए कटौती को एओ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह कटौती का 11वां और 12वां वर्ष था और धारा 80-आईसी (6) के अनुसार, धारा के तहत कुल कटौती 80-IC और धारा 80-IB की कुल अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। आयकर आयुक्त (अपील) {सीआईटी (ए)} और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने एओ के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के साथ-साथ अन्य समान उद्यमों की अपील पर भी विचार किया, जिन्होंने लाभ का दावा किया था। इसने उन अपीलों में निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:

"इन अपीलों में शामिल विवादास्पद मुद्दा, अन्य बातों के अलावा, यह है कि क्या 7 जनवरी, 2003 के बाद स्थापित एक "उपक्रम या उद्यम" (बाद में इकाई के रूप में संदर्भित) निर्दिष्ट विंडो अवधि के भीतर "पर्याप्त विस्तार" कर रहा है। , यानी 7.1.2003 और

1.4.2012 के बीच, आयकर अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत 100% की दर से मुनाफे पर कटौती का हकदार होगा। साथ ही, यदि हां, तो किस अवधि के लिए।"

7. इस प्रश्न का निर्णय सभी करदाताओं के पक्ष में किया गया है। हालाँकि, जहाँ तक यहाँ निर्धारिती का सवाल है, यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 80-आईसी(6) के तहत दस साल की सीमा निर्धारित है, उच्च न्यायालय ने माना है कि दस साल की अवधि की गणना आकलन वर्ष 1998 से की जाएगी। 99 जब निर्धारिती ने धारा 80-आईए के तहत पहली बार कटौती का दावा किया था और इसलिए, आकलन वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के लिए कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह उच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट है:

"46. जिस क्षण धारा 80-आईसी (8)(ix) के अनुसार "पर्याप्त विस्तार" पूरा हो जाता है, "प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष" की वैधानिक परिभाषा [धारा 80-आईसी(8)(v)] चलन में आती है। और परिणामस्वरूप, धारा 80-आईसी(3)(ii) इकाई को "पर्याप्त विस्तार" के पूरा होने के साथ शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए 100% कटौती का अधिकार देती है, जो धारा 80-आईसी(6) के अनुसार अधिकतम दस वर्षों के अधीन है।

47. एक इकाई जिसने 7.1.2003 से पहले परिचालन शुरू किया/अस्तित्व में था, धारा 80-आईबी(4) के तहत पहले पांच वर्षों के लिए 100% कटौती की हकदार थी। यदि यह इकाई विंडो अवधि (7.1.2003 से 31.3.2012) के दौरान पर्याप्त विस्तार पूरा करती है, तो यह धारा 80-आईसी(3)(ii) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए फिर से 100% कटौती के लिए पात्र होगी, जो दस की सीमा के अधीन होगी। धारा 80-आईसी(6) के तहत निर्धारित वर्ष।

48. उपरोक्त व्याख्या को लागू करने पर, हम पाते हैं कि अलग-अलग तथ्य स्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें से कुछ को हमने चित्रित करने का प्रयास किया है; (i) 7.1.2003 से पहले स्थापित एक "यूनिट", जो धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दावा करती है, धारा 80-आईसी के सम्मिलन के बाद पर्याप्त विस्तार करती है, स्वीकार्य प्रतिशत पर केवल धारा 80-आईसी के तहत कटौती की हकदार होगी। , शेष अवधि के लिए, जो किसी भी स्थिति में संयुक्त होने पर, दस वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, (ii) वर्तमान निर्धारिती के मामले की तरह, 7.1.2003 के बाद स्थापित एक इकाई, अपने 8वें वर्ष में ही पर्याप्त विस्तार करती है स्थापना, पहले पांच वर्षों के लिए पहले ही 100% की दर से कटौती का दावा कर चुकी होगी; 6वें और 7वें वर्ष के लिए 25% की दर से, और उसके बाद पर्याप्त विस्तार के बाद की अवधि के लिए, हमारे विचार में, मूल्यांकन का प्रारंभिक वर्ष 8वें वर्ष

में, दस की सीमा के अधीन, 100% की दर से कटौती का हकदार होगा। मूल्यांकन वर्ष, (iii) निर्धारिती जनवरी 2003 के बाद, मान लीजिए वर्ष 2005-06 में एक इकाई स्थापित करता है और मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 में पहली बार अपने लाभ के 100% की दर से धारा 80-आईसी के तहत कटौती का दावा करता है। इसके बाद, वर्ष 2009-10 में इकाई का काफी विस्तार हुआ, आकलन वर्ष 2010-11 के लिए प्रासंगिक दस मूल्यांकन वर्षों की सीमा के अधीन अगले पांच वर्षों के लिए 100% की दर से कटौती का दावा किया जा सकता है, (iv) मौजूदा इकाई किसी भी कटौती का दावा नहीं कर रही है धारा 80-आईए, 80-आईबी या 80-आईसी का वर्ष 2003 में काफी विस्तार हुआ और धारा 80-आईसी के तहत कटौती का दावा पहली बार आकलन वर्ष 2004-2005 में हुआ और फिर वर्ष 2007-2008 में काफी विस्तार हुआ, 100 की दर से कटौती का दावा कर सकते हैं % प्रभावी अगले पांच वर्षों के लिए मूल्यांकन वर्ष 2008-2009, (v) निर्धारिती ने वर्ष 2000-2001 में अपनी इकाई स्थापित की, मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 तक धारा 80-आईबी के तहत कटौती का दावा किया और उसके बाद कानून के अनुसार धारा 80-आईसी के तहत कटौती का दावा किया। . निर्धारण वर्ष 2004-2005 में पर्याप्त विस्तार करते हुए, अब 100% की दर से कटौती का दावा किया गया है। आकलन वर्ष 2004-05 में फिर से काफी हद तक विस्तार हुआ आकलन वर्ष 2008-2009 में 100% कटौती का दावा किया जा सकता है। 2008-2009, (vi) निर्धारिती ने वर्ष 2005-2006 में एक इकाई स्थापित की और पर्याप्त विस्तार नहीं किया, धारा 80-आईसी के तहत कटौती का दावा कर सकता है।

8. जैसा कि देखा जा सकता है, (i) और (iv) में दर्शाए गए पहलुओं को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं का निर्णय निर्धारिती के पक्ष में किया जाता है। हालाँकि, इसका प्रभाव यह है कि जहां तक करदाता की अपील का सवाल है, उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि वह दस साल से अधिक की अवधि के लिए धारा 80-आईसी, 80-आईबी या 10 सी के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

9. इस पृष्ठभूमि में, इन अपीलों में निर्धारिती द्वारा बनाए गए कानून के प्रश्न निम्नलिखित हैं:

"(ए) क्या माननीय उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि याचिकाकर्ता प्रावधान उप-धारा (6) के आधार पर अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती का हकदार नहीं था, जबकि यह लागू भी नहीं था याचिकाकर्ता?

(बी) क्या माननीय उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि अधिनियम की धारा 80-आईसी(6) के प्रावधान अधिनियम की धारा 80-आईबी(4) के तहत कटौती का दावा करने वाले सभी उपक्रमों पर लागू होते हैं जब 80-आईसी (6) केवल उन उपक्रमों को संदर्भित करता है जो धारा 80-आईबी(4) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत आते हैं?

(सी) क्या माननीय उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि याचिकाकर्ता 10 मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए धारा 80-आईसी के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है, जब याचिकाकर्ता द्वारा पर्याप्त विस्तार किया गया था और एक बड़ी नई इकाई दावा कर रही थी अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती?

(डी) क्या माननीय उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि याचिकाकर्ता मूल्यांकन वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती का हकदार नहीं था, जब कटौती की कुल अवधि दस वर्ष थी। मूल्यांकन वर्ष 2009-10 के बाद समाप्त हो रहा है?"

10. जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 46 और 47 को पढ़ने से देखा जा सकता है, इसने एक स्पष्ट दृष्टिकोण लिया है कि जिस क्षण 'पर्याप्त विस्तार' धारा 80-आईसी (8) (ix) के अनुसार पूरा हो जाता है, वैधानिक 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' की परिभाषा {धारा 80-आईसी(8)(v)} चलन में आती है। परिणामस्वरूप, धारा 80-आईसी(3)(ii) इकाई को 'पर्याप्त विस्तार' के पूरा होने के साथ शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए सौ प्रतिशत कटौती का अधिकार देगी, जिसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत कटौती होगी, यानी अधिकतम सीमा के अधीन। दस साल का. इस प्रकार, उच्च न्यायालय यह स्वीकार करता है कि जब किसी विशेष मूल्यांकन वर्ष में पर्याप्त विस्तार किया जाता है और वह धारा 80-आईसी की उप-धारा (2) में उल्लिखित अवधि के दौरान किया जाता है, तो न केवल धारा 80-आईसी के तहत स्वीकार्य लाभ मिलेगा। ट्रिगर होने पर, जिस वर्ष इतना बड़ा विस्तार पूरा हो जाता है उसे 'प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष' माना जाएगा। ऐसा कहने के बाद, इसने धारा 80-आईसी(6) के प्रावधान को लागू करके दस साल की सीमा लगा दी है। हमने धारा 80-आईसी की उपधारा (6) के प्रावधानों को पहले ही पुन: प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रावधान के अनुसार, इस धारा के तहत किसी भी उपक्रम या उद्यम को कोई कटौती की अनुमति नहीं है, जहां इस धारा के तहत कटौती की अवधि सहित कटौती की कुल अवधि, या धारा 80 की उप-धारा (4) के दूसरे प्रावधान के तहत- आईबी या धारा 10सी के तहत, जैसा भी मामला हो, दस

मूल्यांकन वर्ष से अधिक है। इस प्रकार, दस वर्षों की कुल अवधि को निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में गिना जाएगा:

(ए) जब धारा 80-आईसी के तहत दस साल की अवधि के लिए कटौती दी गई है, तो कोई और कटौती स्वीकार्य नहीं है।

(बी) जब धारा 80-आईबी की उप-धारा (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती दी जाती है। उक्त दूसरा परंतुक इस प्रकार है:

> "उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों के मामले में, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, कटौती की राशि सौ प्रतिशत होगी। दस मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए लाभ और लाभ का, और ऐसे मामले में कटौती की कुल अवधि दस मूल्यांकन वर्षों से अधिक नहीं होगी।
>
> यह प्रावधान उन उद्योगों से संबंधित है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हैं।

(सी) जब धारा 10 सी के तहत कटौती का दावा किया जाता है। यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में फिर से एक विशेष प्रावधान है।

11. वर्तमान मामले में निर्धारिती को धारा 80-आईसी के तहत दस साल की अवधि के लिए कटौती नहीं मिली है क्योंकि उसने 10.01.2019 से इस प्रावधान के तहत कटौती का दावा करना शुरू कर दिया था। निर्धारण वर्ष 2006-07. ऊपर उल्लिखित स्थिति संख्या (बी) और (सी) निर्धारिती पर लागू नहीं होगी क्योंकि इसका उपक्रम/उद्यम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अधिनियम की धारा 80-आईसी (6) के प्रावधानों में कहा गया है कि धारा 80-आईसी और धारा 80-आईबी के तहत कटौती की कुल अवधि दस मूल्यांकन वर्षों से अधिक नहीं हो सकती है। केवल तभी जब विनिर्माण इकाई अधिनियम की धारा 80-आईबी (4) के दूसरे प्रावधान के तहत कटौती का दावा कर रही थी यानी उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित इकाइयां।

12. मामले को दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है. धारा 80-आईए के तहत ऐसे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों को कटौती प्रदान की जाती है जो बुनियादी ढांचे के विकास आदि में लगे हुए हैं, बशर्ते वे इसकी उप-धारा (4) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों। धारा 80-आईबी बुनियादी ढांचे के विकास उपक्रमों के अलावा उन औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है, जो उक्त प्रावधान में सूचीबद्ध हैं। दूसरी ओर, धारा 80-आईसी के पीछे का

उद्देश्य राज्य में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करके नया निवेश करने वाली इकाइयों या यहां तक कि मौजूदा विनिर्माण इकाई को भी कटौती देना है, जिसने पर्याप्त विस्तार किया है। इस प्रकार, धारा 80-आईए, धारा 80-आईबी और धारा 80-आईसी में निर्दिष्ट तीन प्रकार की कटौतियों के पीछे का उद्देश्य अलग-अलग है। धारा 80-आईसी उस अवधि को निर्धारित करती है जिसके लिए सौ प्रतिशत कटौती दी जानी है और फिर कम दरों पर कटौती दी जानी है। यदि निर्धारिती ने पहले धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत कटौती का लाभ उठाया था, तो यह कोई चिंता का विषय नहीं होगा, क्योंकि पर्याप्त विस्तार करने पर, जो आकलन वर्ष 2006-07 में किया और पूरा किया गया था, निर्धारिती हकदार हो गया प्रारंभिक वर्ष से धारा 80-आईसी के तहत कटौती। शब्द 'प्रारंभिक वर्ष' उस वर्ष को संदर्भित करता है जिसमें पर्याप्त विस्तार पूरा हो चुका है, जिसकी कानूनी स्थिति स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई है और यहां तक कि विभाग द्वारा भी स्वीकार की गई है क्योंकि उसने फैसले के उस हिस्से को चुनौती नहीं दी है। कटौती के लिए अवधि का समावेश धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत किया जाता है, दस वर्षों की गिनती के उद्देश्य से, धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) में प्रदान किया गया है और यह उन औद्योगिक उपक्रमों तक सीमित है या उद्यम जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हैं। इस प्रकार का विशिष्ट प्रावधान करके, विधानमंडल ने अपना इरादा दिखाया है, अर्थात्, जहां उद्योग उत्तर-पूर्वी राज्य में स्थित नहीं है, वह अवधि जिसके लिए धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत एक निर्धारिती द्वारा पहले कटौती का लाभ उठाया जाता है। अधिनियम की धारा 80-आईसी के तहत कटौती का लाभ उठाने के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा।

13. राजस्व के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि धारा 80-आईसी की उप-धारा (6) तब आकर्षित होगी जब उद्योग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित हो। इस स्थिति का सामना करने के बाद, उन्होंने आयकर अधिनियम, 1922 (इसके बाद '1922 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 15सी का हवाला देकर विचार के लिए एक पूरी तरह से अलग तर्क उठाया, जो एक ऐसा प्रावधान भी था जो आय के संबंध में छूट प्रदान करता था। नव स्थापित औद्योगिक उपक्रम का. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने ***टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता*** में माना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सही परीक्षण है कि क्या औद्योगिक उपक्रम 'पहले से मौजूद व्यवसाय के पुनर्निर्माण से बना है' (जो 1922 अधिनियम की धारा 15सी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति थी), यह नहीं है कि क्या नया औद्योगिक उपक्रम निर्धारिती के मौजूदा व्यवसाय के विस्तार को दर्शाता है, बल्कि यह है कि क्या यह मौजूदा व्यवसाय से अलग और अलग एक नया और पहचान योग्य उपक्रम है। ठीक है,

विद्वान वरिष्ठ वकील का प्रयास यह था कि निर्धारिती को एक औद्योगिक उपक्रम के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसने व्यवसाय का पुनर्निर्माण किया है यानी पर्याप्त विस्तार किया है। इस तर्क को कम से कम दो कारणों से खारिज किया जाना चाहिए:

(i) 1922 के अधिनियम की धारा 15सी ने नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को कर से छूट प्रदान की, यदि वे *('पहले से मौजूद व्यवसाय के पुनर्निर्माण द्वारा गठित')* नहीं हैं। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के तहत, यदि यह पाया गया कि कोई औद्योगिक उपक्रम पहले से मौजूद व्यवसाय के पुनर्निर्माण से बना है, तो वह धारा 15सी के तहत किसी भी छूट का हकदार था। इसी संदर्भ में न्यायालय व्यवसाय के पुनर्निर्माण के अर्थ पर विचार कर रहा था। दूसरी ओर, धारा 80-आईसी के तहत शब्द 'पर्याप्त विस्तार' हैं। इस प्रकार, उक्त निर्णय में निहित चर्चा का तत्काल मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

(ii) जहां तक आकलन वर्ष 2006-07 में निर्धारिती की इकाई के पर्याप्त विस्तार का सवाल है, यह मौजूदा मामले में किसी भी विवाद का विषय नहीं है। विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि निर्धारिती ने पर्याप्त विस्तार किया है। ठीक इसी कारण से, एओ ने आकलन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए कटौती की अनुमति दी थी। इसलिए, मुद्दा यह नहीं है कि पर्याप्त विस्तार हुआ है या नहीं। मुद्दा केवल यह है कि दस साल की अवधि की गणना कैसे की जानी है, अर्थात्, क्या उन मूल्यांकन वर्षों को कटौती देने के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए जिनके संबंध में धारा 80-आईए और धारा 80-आईबी के तहत कटौती की अनुमति दी गई थी। धारा 80-आईसी के तहत.

14. इस प्रकार, हमारी राय है कि निर्धारण वर्ष 2008-09 और 2009-2010 के लिए धारा 80-आईसी के तहत निर्धारिती को कटौती की अनुमति न देना एओ की ओर से गलत था। परिणामस्वरूप, इस पहलू पर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।